

## कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail – dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

क्रमांक/मा.चि./06/2022/1102

सागर, दिनांक

24-6-22

प्रति,



मुख्य वन संरक्षक  
सागर वृत्त सागर

विषय :-

जिला सागर के अंतर्गत वनमण्डल दक्षिण सागर में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तावित आपचंद मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु 182.16 हे. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/43200/2019)

संदर्भ :-

1. आपका पत्र क्र./मा.चि./2340 दिनांक 06.06.2022 एवं पत्र क्र./2461 दिनांक 17.06.2022
2. कार्यालयीन पत्र क्र./979 दिनांक 31.05.2022 एवं पत्र क्र./2152 दिनांक 21.06.2022
3. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर के पत्र क्र./2521/कार्य/2022-23 दिनांक 23.6.2022

विषयांकित में लेख है कि जल संसाधन विभाग सागर द्वारा पूर्व में परिवेश पोर्टल पर भाग-I परियोजना से प्रभावित वन क्षेत्र के कुल रकबा का विवरण प्रस्तुत किया गया था, जिसका कक्षवार विवरण आवेदक संस्थान एवं वन अमले द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण उपरान्त परिवेश पोर्टल पर भाग-II प्रविष्टि कर प्रेषित किया गया है।

आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में जल संसाधन विभाग सागर एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी गढ़ाकोटा द्वारा परियोजना में प्रभावित वनभूमि का पुनः संयुक्त निरीक्षण दिनांक 22.06.2022 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार पूर्व की भांति कुल रकबा 181.39 हे. वन भूमि ही परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित होना पाया गया है।

अतः परिवेश पोर्टल पर भाग-III की पूर्ति हेतु प्रस्तावित संलग्नों सहित आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

वनमण्डल अधिकारी,  
दक्षिण सागर, (सा.)

वनमण्डल

सागर, दिनांक

24-6-22

पृ.क्रमांक/मा.चि./06/2022/1103

प्रतिलिपि :-

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डल अधिकारी,  
दक्षिण सागर, (सा.)

वनमण्डल